न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 140 सन 2010
अनवान :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र सेवाराम जाति ब्राहम्ण निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. भवरीदेवी धर्मपत्नी महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सुरजनसर तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26/07/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 91 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 132/63 के खसरा न0 383/2 की 25.00 बीधा बारानी भूमि थी जिसके वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार थे जो उनके कब्जा काश्त में थी वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 मुश्तरका खातेदार थे जिसमें वादी का 240 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 260 हिस्सा था उक्त भूमि साबिका खसरा न0 179 से मुर्तिब एव परिर्वतन हुई है तथा खसरा न0 383 की कुल 45.00 बीधा जो वदी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 के पास कुल 25.00 बीधा भूमि थी दोराने पैमाईश भू0प्रबन्ध विभाग ने राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को दोहराया तब नक्शा में मौके पर खसरा न0 383 साबिका खसरा न0 से तैयार किया गया अर्थात साबिका खसरों से नये खसरे मुर्तिब किये गये उस वक्त नक्शा भी नये सीरे से मुर्तिब किये गये थे खसरान नम्बर 179 से परिर्वतन कर खसरा नम्बर 383 का बनाया गया तब सहवन से खसरा न0 383 के दक्षिणी और पश्चिमी कोने में खसरा न0 179 पूर्ववत दर्ज रह गया हालाकि खसरा न0 179 खसरा नये परिर्वतन 383 का ही भाग था परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने 383 और 179 के मध्य लाइन डालने से दो भागों में विभक्त हो गया खसर न0 179 से ही खसरा न0 383 बनने थे अर्थात हाल खसरा न0 383 व साबिका खसरा न0 179 दोनो 45 बीधा के एकल खेत थे दो जगह साबिका व हाल खसरा गलत तौर से दर्ज कर दिया सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जब नक्शा रोही मौजा सुरजनसर का तेयार किया गया उस वक्त साबिका खसरा न0 179 हाल खसरा न0 383 के साथ दक्षिण पश्चिम में खेत दर्ज कर दिया गया जबकि सैटलमेन्ट विभाग का कानूनन कर्तव्य थ कि जब पुराने नक्शो का व खसरो को तरमीम करते वक्त जब नये में तब्दील किये ये तो हाल खसरा के साथ साबिका खसरे को अंकन नही करना चाहिये था क्योकि उक्त खेत ऐकल खेत था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:29 IST
Reason: SelfAttested

वादी एव तरतीबी प्रतिवादी अपने [illegible] ल 25 बीधा सयुक्त रूप से काबिज है परन्तु नक्शा के अन्द उसकी [illegible] नक्शा सन 1964–65 में तैयार किया गया तब वादी की भूमि [illegible] अनसुार सही थी [illegible] नक्शा में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी की 10 बीधा भूमि कम द[illegible] हो गई है।

वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का मौके पर कब्जा 25.00 बीधा भूमि पर है किन्तु नक्शा मे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की भूमि कम है नक्शा खेत का सही नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जिसे सही करवाने हेतु प्रतिवादी को कई बार निवेदन किया की किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मोजा सुरजनसर के खाता संख्या 132/63 में वर्णित खसरा न0 383/2 की 25.00 बीधा भूमि का नक्शा तरमीम संशोधित एव लाईनबन्दी सही तौर से पुराने नक्शा से मिलान करवा कर नया नक्शा वादी के कब्जा काश्त के अनुसार एव राजस्व रिकार्ड के अनसुार 25.00 बीधा के अनुसार वादी मौक का नक्शा तरमीम करवाने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

मुताबिक हकदारान रजिस्टर खसरा न0 383/2 से ही मौजा सुरजनसर तादी 25.00 बीधा श्रीमति भंवरीदेवी व महावीर प्रसाद के नाम दर्ज थी खसरा न0 383 का कुल रकबा 45.00 न होकर 25 बीधा ही मुताबिक मिलान क्षेत्रफल था खसरा न0 179 साबिका का क्षेत्रफल 45 बीधा न होकर काफी ज्यादा है जिसमें से 25 बीधा खसरा न0 383 में दर्ज हुआ है खसरा न0 383/352 पर वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 का कभी कब्जा नही रहा है वादी एव प्रतिवादी आपस में पति पत्नी है सेलटमेन्ट विभाग द्वारा खसरा न0 179 साबिका हाल खसरा न0 179 नही बना है जैसा कि मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है मिलान क्षेत्रफल से खसरा न0 179 से खसर न0 376 ,377 ,321 ,383 ,386 ,385 ,386 ,387 ,388 बने है मिसल बन्दोबस्त तेयार करते समय खसरा न0 383 में से काटकर खसरा न0 383/352 बनया गया हे इसप्रकार वादी ने अपने दावा में निम्न बातो का उल्लेख नही किया है

खसरा न0 179 साबिका खसरा में वादी तथा प्रतिवादी संख्या कितना रकबा था व उन्हे यह रकबा खसरा न0 383 किस प्रकार से प्राप्त हुआ है खसरा न0 383/3 किसप्रकार से बना है पति व पत्नी का नाम रिकार्ड पर किस प्रकार से आया है खसरा न0 383 दक्षिण में किस खसरा नम्बर से में रकबा जयादा है वह रकबा किसका है इसप्रकार वादी न्यायालय मे क्लीन हैण्ड से नही आया है वादी अपने वाद में स्वीकार करता है कि रिकार्ड में 25.00 बीधा सही दर्ज किया गयाहै लेकिन मौके पर 10 बीधा कम है लेकिन मौक की पैमाईश का कहा विवरण अंकित है और ना ही पैमाईश सम्बधी कोई रिपोर्ट संलग्न की है जिसे यह साबित हो सके की नक्शा मौका पर रकबा में अन्तर है वादा की मद मनगढत एव बनावटी अकित की गई है वादी द्वारा अपना खेत नपवाने अथ्वा रकबा सही करने बाबत कोई प्रार्थना पत्र राजस्थान सरकार तहसीलदार के समक्ष पेश नही किया गया है अतः वादीगण का वाद अस्पष्ट एव क्लीन हेण्ड से नही आने के कारण खारिज फरमाया जावे।

वादी के वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई

1. आया कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 132/63 के खसरा न0 383/2 की तादादी 25.00 बीधा भूमि का नक्शा तरमीम संशोधित एव लाईन बन्दी सही तौर से पुराने नक्शे के मिलान करवा कर नया नक्शा वादी के कब्जा काश्त के अनुसर एव रिकार्ड में दर्ज तादादी 25.00 बीधा अनुसार वादी मोके का नक्शा तरमीम संशोधित व सही करवाने का अधिकारी है।? वादी
2. आया प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पांबद करवाने का अधिकारी है।? वादी
3. आया कि वाद पैमाईश से सम्बधित वाद वादी अस्पष्ट है एव क्लीन हैण्ड से नही है वादी जरिये वाद किसी प्रकार का रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है । प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:29 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही होने पर शुन्य रही साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाने पर बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उभयपक्षों की बहस एव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से हैः–

1. **आया कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 132/63 के खसरा न0 383/2 की तादादी 25.00 बीधा भूमि का नक्शा तरमीम संशोधित एव लाईन बन्दी सही तौर से पुराने नक्शे के मिलान करवा कर नया नक्शा वादी के कब्जा काश्त के अनुसर एव रिकार्ड में दर्ज तादादी 25.00 बीधा अनुसार वादी मोके का नक्शा तरमीम संशोधित व सही करवाने का अधिकारी है।?** वादी

तनकी न0 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने तनकी के समर्थन में फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा सुरजनसर नकल नक्शा रोही मोजा सुरजनसर सम्वत 1964–65 नकल रजिस्टर हकदारन खसरा न0 383/2 की 25.00 बीधा नकल फोटो नक्शा रोही मोजा सुरजनसर सम्वत 1943 खसरा न0 383 पेश किये

वादी का कथन है रोही मौजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 179 की 25.00 बीधा भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 की मुश्तरका कब्जा काश्त की भूमि थी जिसके नये खसरा नम्बर में परिर्वतन करते समय खसरा न0 383 पैमुद किये गये किन्तु राजस्व रिकार्ड में तो भूमि सही तौर से दर्ज कर दी किन्तु नक्शा में भूमि कम दर्ज कर दी हाल खसरा न0 383 व साबिका खसरा न0 179 की 45.00 बीधा का ऐकल खेत था को दो जगह साबिका व हाल खसरा नम्बर में गलत तौर से दर्ज कर दिया इसलिये नक्शा संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज का कथन है कि खसरा नम्बर 179 में वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 का कितना रकबा था व उन्हे यह रकबा खसरा न0 383 किस प्रकार से प्राप्त हुआ था तथा खसरा न0 383 के दक्षिण में किस खसरा नम्बर में रकबा ज्यादा है वह रकबा किसका है वादी ने स्वीकार किया है कि उसका 10 बीधा भूमि नक्शा में कम है जिसे साबित करने के लिये वादी ने कोई पैमाईश रिपोट पेश नही की गई है ना ही कोई दस्तावेजात पेश किये है कि मौका पर कितनी भूमि है जिससे साबित हो सके की मौका व नक्शा में कितनी भूमि है मात्र कथनो के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य सबुत पेश नही किया जिससे वाद भूमि खसरा न0 383 साबिका खसरा न0 179 की 25.00 बीधा भूमि किस प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी का दायित्व था कि वह ऐसा साक्ष्य पेश करता जिससे भूमि वादी को प्राप्त हुई हो

रोही मोजा सुरजनसर के साबिका खसरा न0 179 का रकबा काफी था अर्थात खसरा न0 179 काफी बडा खसरा था जिसमें से 25 बीधा भूमि खसरा न0 383 में दर्ज हुई जो मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

वादी ने यह भी अपने वाद में अंकित नही किया की साबिका खसरा न0 179 में कितना रकबा था ना ही साबिका खसरा नम्बर 179 में कितना रकबा था का साक्ष्य पेश किया गया है तथा उन्हे साबिका खसरा न0 179 किस प्रकार प्राप्त हुआ था तथा खसरा न0 383 के दक्षिण में किस खसरा नम्बर में रकबा ज्यादा दर्ज हुआ है तथा वह खसरा किस काश्तकार का है का अंकन भी नही किया गया है।

वादी का कथन है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि से 10 बीधा भूमि नक्शा में कम दर्ज है किन्तु वादी ने अपने कथनों में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि से कम भूमि होना ... ही वादी का दायित्व था कि वह अपने कथनो के समर्थन में पैमाईश करवाकर ... पेश करता जिससे मौके पर भूमि कम होनी साबित होती मात्र कथनो के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः तनकी नम्बर 1 के साक्ष्य सबुतो के अभाव मे वादी के विरूद्व तय की जाती है।

2. **आया प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पांबद करवाने का अधिकारी है।? वादी**

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादी पर था तनकी न0 2 तनकी न0 1 पर आधारित है जब तनकी न0 1 वादी के विरूद्व तय हो चुकी है तो वादी किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।
तनकी न0 2 वादी के विरूद्व तय की जाती है।

3. **आया कि वाद पैमाईश से सम्बधित है वाद वादी अस्पष्ट है एव क्लीन हैण्ड से नही है वादी जरिये वाद किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है ।**

प्रतिवादी तनकी न0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पेरोकार राज का था वादी का कथन है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि के अनुसार मौका नक्शा में भूमि कम दर्ज है जिसका विवेचन तनकी न0 1 में भी किया गया है वादी ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का मौका पर पैमाईश नही करवाई गई है जिससे यह नही कहा जा सकता की मौके पर भूमि कम है या ज्यादा है तथा वादी ने यह भी व्यक्त नही किया गया की यदि मौक पर भूमि कम दर्ज है तो किस काश्तकार के नक्शा में राजस्व रिकार्ड से अधिक भूमि दर्ज है वादी ने अपने वाद में मात्र कथन किये है किसी प्रकार के ठोस साक्ष्य पेश नही किये वादी ने अपने वाद में मात्र पूर्व व वर्तमान नक्शे पेश किये जो वादी के वाद को साबित करने के पर्याप्त नही है वादी का दायित्व था कि वह यह साक्ष्य पेश करता की वादी का साबिका खसरा न0 179 में भूमि किस प्रकार से प्राप्त हुई और कितनी भूमि प्राप्त हुई थी तथा साबिका खसरा न0 179 से हाल खसरा न 383 बना है और रकबा कम है तो किस काश्तकार के पास अधिक है तथा विधिवत पैमाईश करवाकर राजस्व रिकार्ड एव मौका की स्थिति की रिपोर्ट पेश करता जो वादी ने पेश नही किये गये है बिना साक्ष्यों के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वादी का वाद पैमाईश से सम्बधित होना पाया जाता है

अतः तनकी न0 3 पेरोकार राज के पक्ष में तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से साबित हो चुका है कि वादी यह साक्ष्य पेश नही किये कि वाद भूमि किसीप्रकार से प्राप्त हुई थी तथा साबिका खसरा न0 179 में वादी तरतीबी प्रतिवादी की कितनी भूमि थी तथा साबिका खसरा न0 179 से हाल खसरा नम्बर 383 में भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई थी तथा खसरा न0 383 के दक्षिण में किस काश्तकार के नक्शा में भूमि अधिक दर्ज हुई है और किस काश्तकार का है एव वादी अपने 10 बीधा भूमि कम होना व्यक्त करता है किन्तु अपने कथनो के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि नक्शा में होना साबित हो सके अतः साक्ष्य सबुतों के अभाव में वादी का साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है ।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/07/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महावीर प्रसाद पुत्र सेवाराम जाति ब्राहम्ण निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी
गण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. भवरीदेवी धर्मपत्नी महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी सुरजनसर तहसील नोहर

प्रतिवादी

तरतीबी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 140 सन 2010 निर्णय दिनांक– 26/07/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/07/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:33:29 IST
Reason: SelfAttested